विचार बिन्दु

अशिक्षित रहने से पैदा ना होना अच्छा है, क्योंकि अज्ञान ही सब विपत्ति का मूल है। अज्ञानी के लिए खामोशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं और यदि उसमे यह समझाने की बुद्धि हो तो वह अज्ञानी नहीं रहेगा। –शेख सादी

सांसद की सदस्यता की अयोग्यता के बाबत संविधान के अनुच्छेद 103 की क्या कोई भूमिका है?

माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने अपने आदेश दिनांक 4 अगस्त, 2023 से मानहानि के केस में जो 2 वर्ष की सजा राहुल गांधी को दी थी, उसके दोष सिद्धि (Conviction) की सजा पर रोक लगा दी है। फलस्वरूप राहुल गांधी की संसद की सदस्यता की अयोग्यता समाप्त हो गई, क्योंकि 2 वर्ष की सजा के कारण वे सदस्य रहने के अयोग्य हो गये जैसा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) सपठित अनुच्छेद 102(1)(म) संविधान में प्रावधान है। लोकसभा सचिवालय ने केन्द्र सरकार के गजट दिनांक 7 अगस्त 2023 की विज्ञप्ति जारी कर उनकी सदस्यता बहाल कर दी वस्तुत: लोक सभा सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के आदेश को देखते हुये राहुल गांधी की अयोग्यता को वापिस लिया जाता है। 24 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना को अगले अदालती आदेश तक स्थगित किया जाता है। वे 136 दिन बाद संसद पहुंचे और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की बहस में भाग लिया सूरत की कोर्ट ने 7 जुलाई 2023 के आदेश से 2 वर्ष की सजा दी थी। याद रहे मानहानि के अपराध के हेतु अधिकतम सजा 2 वर्ष की है।

संविधान के अनुच्छेद 102 में यह प्रावधान है कि संसद का सदस्य चुनने के बाद किन-किन परिस्थितियों में वह अयोग्य करार दिया जा सकता है। अनुच्छेद 102(1)(म) में यह व्यवस्था दी गई है कि संसद की अयोग्यता के हेतु संसद कानून बनाकर प्रावधान कर सकती है। चुनाव कानून जिसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के नाम से पुकारा जाता है उसकी धारा 8(3) में यह व्यवस्था है कि यदि किसी सांसद को 2 वर्ष की सजा सक्षम कोर्ट द्वारा दी जाती है तो वह सदस्यता हेतु अयोग्य घोषित माना जावेगा।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 4.8.2023 से कन्वीक्शन को निलम्बित कर दिया है। उसका परिणाम यह हुआ कि वे संसद के सदस्य पुन: हो गये। संविधान के अनुच्छेद 102 में सांसद की अयोग्यता के कारणों का उल्लेख है। संसद, संसद सदस्यों से मिलकर बनती है, संसद का सदस्य बनने पर अर्थात् अपनी सीट ग्रहण करने से पूर्व शपथ, तीसरी अनुसूची के अनुसार होनी चाहिये। 2 वर्ष की सजा के बाद राहुल गांधी संसद सदस्य नहीं रहे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से Conviction पर रोक लगने के फलस्वरूप उनकी सदस्यता बहाल हो गई। संविधान का अनुच्छेद 99 कहता है संसद का सदस्य कहलाने से पूर्व उसे शपथ लेना आवश्यक है। राहुल गांधी ने शपथ नहीं ली है। संभवत: सदस्यता के रेस्टोर होने पर, इसकी आवश्यकता नहीं है।

अनुच्छेद 102 का संबंध संसद के सदस्य की अयोग्यता से है। अनुच्छेद 120 के उप अनुच्छेद (1)(म) यह कहता है कि संसद द्वारा बनाये गये कानून द्वारा अयोग्यता को परिभाषित किया गया है। वह कानून जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 है, जिसकी धारा 8(3) में यह व्यवस्था है।

अनुच्छेद 103 यह निर्देश देता है कि जब कभी सांसद की अयोग्यता का प्रश्न उठाया जावे तो इसके निर्णय के हेतु विवाद को अनुच्छेद 103(1) के तहत राष्ट्रपति को भेजना होगा और उनका निर्णय Final होगा। राष्ट्रपति के लिये निर्णय देने से पूर्व चुनाव आयोग की राय लेनी होगी। अनुच्छेद 103 को निम्नलिखित रूप से उद्धृत किया गया है।

Article 103. Decision on questions as to disqualifications of members: - (1) If any question arises as to whether a member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 102, the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final.

(2) Before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.

देश की जनता अपेक्षा करती है कि (1) क्या मानहानि के केस में जिसमें 2 वर्ष की सजा जो अधिकतम है, कब दी जा सकती है? (2) अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा? किस Authority को यानी लोकसभा अथवा चुनाव आयोग में से सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसे है तथा क्या देश के राष्ट्रपति को सांसद को अयोग्य करने का अधिकार है? क्या इस हेतु निर्णय देने से पूर्व चुनाव आयोग से राय लेना आवश्यक है?

प्रस्तुत केस में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूरत की कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया और राहुल गांधी को दोषी करार दिया तथा 2 वर्ष की सजा दी। सजा के विरूद्ध राहुल गांधी सेशन्स कोर्ट में अपील की थी। सेशन्स कोर्ट ने Sentence को Suspend किया, किन्तु Conviction को स्टे नहीं किया। इसके विरूद्ध राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट गये 07.03.2023 को सूरत हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की रिवीजन पिटीशन में कन्वीक्शन को स्टे करने से इन्कार किया।

सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेश की गई और सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने Conviction को स्टे कर दिया। फलस्वरूप जैसा ऊपर लिखा है राहुल गांधी की अयोग्यता फिलहाल स्थगित हो गई। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। राहुल गांधी दिनांक 8.8.2023 को संसद में उपस्थित हुये और उन्होंने अपना वक्तव्य संसद में दिया।

लोकसभा सचिवालय ने विज्ञप्ति जारी कर राहुल गांधी की सदस्यता कुछ समय के लिये बहाल की। संसद के सदस्य की निरर्हता (अयोग्यता) जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 8(3) से संबंध है। राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा हुई है। सजा होते ही संसद की सीट वेकेन्ट हो जाती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151ए स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करती है कि सीट वेकेन्ट होने की तारीख से 6 माह में बाई इलेक्शन होना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद 103 का प्रावधान बाध्यकारी है कि राष्ट्रपति अपने निर्णय से पूर्व सदस्य की निरर्हता के बाबत चुनाव आयोग से राय लेंगे।

संसद के सदस्य की निरर्हता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) से संबंध है मानहानि के केस में 2 वर्ष का Conviction जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया है और अयोग्यता पर स्टे एसएलपी में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यह माना गया है कि Conviction को स्टे करने का यह असर है कि अयोग्यता फिलहाल नहीं रही। कोर्ट के आदेश की प्राप्ति पर चुनाव आयोग ने अयोग्यता का आदेश पारित किया है, किन्तु लोकसभा सचिवालय की विज्ञप्ति से राहुल गांधी का Conviction स्टे हुआ है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिनांक 04.08.2023 को Conviction (दोष सिद्धि) पर रोक लगाई। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता Restore (बहाल) हुई है। यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार देश के कानून के समान है। इसे लागू करना कोर्ट व सरकार सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी है। इसे चुनौती भी नहीं दी जा सकती।

इस लेख का कोई संबंध सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 04.08.2023 की वैधता को चुनौती देने का नहीं है। लेख इसलिये लिखा गया है कि कानून के विद्यार्थी यह जान सकें कि उपरोक्त परिस्थितियों में सही विधि क्या होनी चाहिये?

मानहानि के केस में 2 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। प्रश्न है प्रस्तुत केस में, उसकी विशिष्ट परिस्थितियों में 2 वर्ष की सजा दिया जाना क्या औचित्यपूर्ण है? संविधान के अनुच्छेद 102 में संसद के सदस्य को अयोग्य घोषित करने के कई कारण दिये हैं, उनमें उप अनुच्छेद (1)(म) में यह व्यवस्था दी है कि संसद कानून बनाकर अयोग्यता निर्धारित कर सकती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संसद द्वारा बनाया गया कानून है उसमें 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 2 वर्ष की सजा/दोष सिद्धि यानी कन्वीक्शन पर सदस्य अयोग्य करार दिया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 103 में यह व्यवस्था है कि संसद की सदस्यता के बाबत कोई विवाद हो तो उसका निर्णय महामहीम राष्ट्रपति जी करेंगे। वे इस बाबत चुनाव आयोग से राय ले सकते हैं।

देश की जनता अपेक्षा करती है कि (1) क्या मानहानि के केस में जिसमें 2 वर्ष की सजा जो अधिकतम है, कब दी जा सकती है? (2) अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा? किस Authority को यानी लोकसभा अथवा चुनाव आयोग में से सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसे है तथा क्या देश के राष्ट्रपति को सांसद को अयोग्य करने का अधिकार है? क्या इस हेतु निर्णय देने से पूर्व चुनाव आयोग से राय लेना आवश्यक है?

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई बीच में छोड़ने के कारण देश में निरक्षरता लगातार बढ़ रही है

राजेन्द्र जोशी

भारत जैसे विशाल देश में शिक्षा का महत्व पिछले तीन दशक से सरकार और समाज के विचार का विषय बन बन गया। सरकार और समाज अगर किसी विषय को चुनकर समाधान करना चाहे तो समय अधिक नहीं लगता। ऐसे में सरकार को प्राथमिक शिक्षा के महत्व को समझना होगा, जिसे पिछले दशक में हाशिए पर रखा जा रहा है। एक समय था जब प्राथमिक शिक्षा का अपना अलग महत्व होता था, अलग सिस्टम होता था, सबसे अधिक मजबूती से प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था।

चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है, हम हर साल उन आंकड़ों को खोजते हैं जहां शत प्रतिशत नामांकन के बाद भी बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती ही जाती है, सरकारों के पास संसाधन होते हुए भी प्राथमिक शिक्षा के दौरान बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के आंकड़े तीन-चार साल बाद पेश किए जाते हैं। जबकि पन्द्रह वर्ष के बाद वह विद्यार्थी प्रौढ़ शिक्षा के रूप में नामांकित होने लगते हैं, 15 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्तियों को स्कूल में जाकर प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन करने में लज्जा आती है, क्योंकि वह उम्र पीछे छूट जाती है जिस उम्र में उन्हें प्राथमिक शिक्षा लेनी होती है। विचारणीय विषय है कि पिछले एक दशक में प्रौढ़ साक्षरता भी लगभग बंद होने के कगार पर है, तीन दशक पहले भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना इसीलिए की गई थी कि देश में शत-प्रतिशत साक्षरता का संकल्प पूरा किया जाए। पिछली जनगणना के आंकड़ों से सुकून हमें मिला और अनेक राज्यों ने क्वांटम जंप लिया था, यह बात विस्तार से मैं आपके साथ बाद में साझा करूंगा। फिलहाल हम इसके प्रारंभिक कारणो की चर्चा कर रहे है। प्राथमिक शिक्षा में बीच में छोड़ने वाले बच्चों की अनदेखी लगातार सरकारों द्वारा की जा रही है, ऐसी बात नहीं है की सरकारों ने शिक्षा की तरफ ध्यान ना दिया हो।

मिड डे मील, दूध वितरण, निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, स्कूल ड्रेस उपलब्ध करवाना इत्यादि अनेक योजनाएं सरकारी विद्यालयों में लागू की गई। हमने यह सोचा था कि यह योजनाएं निरक्षरता पर रोक लगा देगी और जहां से निरक्षरता पैदा होती है वहां पर पूरी तरह लगाम लग जायेगा। समग्र शिक्षा की स्थापना हुई, संसाधन बढ़ाए गए, परंतु प्राथमिक शिक्षा बीच में छोड़ने के कारणों की इतनी अनदेखी की गई कि उसे संभाल पाना मुश्किल है।

आज भी लगभग 30 प्रतिशत बच्चें बीच में ही पढ़ाई छोड़ जाते हैं, सरकारी आंकड़ों की ठीक से पड़ताल की जाए तो हमारे सामने यह भी आएगा कि प्रवेशोत्सव को जिस उत्साह से प्रारंभ किया गया था वह दो-तीन माह में ही दम तोड़ देता है। ऐसे में सरकार की और समाज की यह जिम्मेदारी है कि अनदेखी को ठीक किया जाना चाहिए। जहां तक प्राथमिक शिक्षा बीच में छोड़ने के कारणों की पड़ताल की जाए तो सबसे बड़ा कारण तो मातृभाषा में शिक्षा न दिया जाना एवं आदिवासी गरीब क्षेत्रों में रोजगार का विषय सबसे अधिक परेशान करता है। एक और बात जो इसकी अनदेखी का बड़ा कारण है स्वयंसेवी संस्थाओं को सरकार ने लगभग समाप्त कर दिया। अन्यथा बीच में पढ़ाई छोड़ने के कारणों का पता लगाने और उन पर काम करने में स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएं भी मददगार हुआ करती थी।

एक बड़ा कारण सरकार ने प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण करने से प्राथमिक शिक्षा पर समुचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाना भी पढ़ाई बीच में छोड़ने के कारणों में प्रमुखता से समझा जा सकता है। हमेशा केंद्रीयकरण गुणवत्ता कमजोर करता है। विकेंद्रीकरण अभियान को मजबूती देता है, अभी भी समय है प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों पर उनके परिवारों पर ध्यान दिया जाए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध एवं प्रबंधकीय व्यवस्था का ढांचा पूर्व की भांति अलग हो, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, एवं प्राथमिक शिक्षा के स्कूल अधिक से अधिक खोले जाए तो प्राथमिक शिक्षा बीच में छोड़ने पर लगाम लगता है इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

लेखक शिक्षाविद एवं साक्षरताकर्मी है।

– राजेन्द्र जोशी,
कवि-कथाकार

जालोर में स्मार्टफोन लेने के लिये महिलायें परेशान नजर आईं

शिविर में फोन के लिए फर्जी नरेगा कार्ड बनाने में लगे लोग

जालोर, (कासं)। जालोर शहर के नगर परिषद में स्मार्ट फोन लेने वाली महिलाओं की भीड़ नजर आई। ऐसे में फोन लेने की औपचारिकता पूर्ण करने में ही महिलाएं परेशान नजर आई। कई महिलाएं तो थक-हार कर घर की तरफ चली गई। वहीं फोन लेने को लेकर परिषद में फर्जी में नरेगा हाजरी दर्ज करने का खेल चलता नजर आ रहा है। ऐसे में यह योजना केवल मात्र दिखावा साबित होती नजर आई।

मुख्यमंत्री ने गुरूवार को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन देने की योजना का शुभारम्भ किया। ऐसे में स्मार्ट फोन लेने के लिए जालोर नगरपरिषद में शिविर में काफी संख्या में महिलाओं की भीड़ नजर आई। ऐसे में भीड़ को काबू करने को लेकर किसी प्रकार से पुलिस की व्यवस्था नही होने से महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले चरण में केवल मात्र विधवा, मनरेगा श्रमिक व उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं को ही फोन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। ऐसे में चिरंजीवी से जुड़े सभी लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा भ्रामक प्रचार किया गया कि चिरंजीवी मुखिया को फोन मिलेंगे। ऐसे में कई महिलाएं शिविर पहुंची। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उन्हें फोन नहीं मिलेगा तो वे निराश होकर घर की ओर लौट गई।

वहीं परिषर के कार्मिक भी फोन को लेकर फर्जी नरेगा कार्ड बनाने में जुट गये। इस योजना का लाभ वास्तविक हकदार को नही मिलकर

- **फोन लेने के लिए शिविर में काफी संख्या में महिलाओं की भीड़ पहुंची**
- **ऐसे में यह योजना केवल मात्र दिखावा साबित होती नजर आई**

पहुंच वाले इस योजना का लाभ जरूर उठा लेंगे। ऐसे में सरकार द्वारा फोन वितरण के नाम पर महिलाओं को चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया।

लोगों का कहना था कि महिलाओं को फोन देने से महिलाएं घरेलू कार्य नहीं कर पायेगी तथा फ्री नेट पर दिनभर मोबाईल पर बीजी रहेगी। ऐसे में महिलाओ के हाथ में फोन देने से फायदा की जगह नुकसान ज्यादा है। ऐसे में परिषद में धूप में दिनभर कई महिलाएं फोन प्राप्त करने का इंतजार करती रही। लेकिन औपचारिकता अधिक होने से औपचारिकता पूर्ण नही होने से कई महिलाएं निराशा घर लौटी। मुख्यमंत्री की यह योजना फायदा की बजाय नुकसानदायी साबित होगी।

जालोर जिला मुख्यालय पर बुधवार को आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत लाभार्थी पूजा चौहान, खुशी कंसारा, अनिता कुमारी, पुष्पा कुमारी, करूणा, ज्योत्सना चौधरी, पूजा, उमेती देवी, धोपी देवी, कसनी देवी व अनिता को स्मार्ट फोन प्रदान करने के साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी का लाभ दिया गया।कार्यक्रम में जिला कलक्टर निशान्त जैन, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित कुमार, जालोर उपखण्ड अधिकारी दौलतराम चौधरी, पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी, राज्य भूदान बोर्ड के सदस्य नैनसिंह राजपुरोहित, बीसूका की जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल, सवाराम पटेल, डॉ. भरत मेघवाल, आमसिंह परिहार, भोमाराम मेघवाल, इन्दु परिहार व सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक योगेश कुमार सहित अन्य जन प्रतिनिधि अधिकारी एवं योजना के लाभार्थी उपस्थित रहे।

पोकरण के सत्यमेव चौक से सौ फुट का तिरंगा सात माह से गायब है

पोकरण, (निसं)। पोकरण शहर से जैसलमेर सड़क मार्ग पर स्थित शक्ति स्थल के सामने सत्यमेव चौक से लगभग सात माह से सौ फीट का तिरंगा लगा हुआ नहीं होने से देशी विदेशी पर्यटकों एवं बाबा रामदेवरा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है।

- **तिरंगे के नदारद होने को लेकर जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौन**

सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार 26 जनवरी पर लगा हुआ था। लगभग 7 माह बीत जाने के बाद भी तिरंगा झंडा कुछ दिनों बाद ही नदारद हो गया। वहीं जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के चलते देश की आन बान शान देश का तिरंगा झंडा सत्यमेव चौक में लगा हुआ नहीं है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर देश के विभिन्न शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सौ फीट का तिरंगा लगाने की छूट मिलने एवं सरकारी बजट से पर्यटक स्थलों पर लगाने की विधिवत घोषणा के बाद पालिका क्षेत्र में लगाने के स्थान को लेकर को पक्ष व विपक्ष द्वारा आरोप प्रति आरोपों के दौर के बाद लाखों रुपए का सरकारी बजट खर्च कर पालिका प्रशासन द्वारा लगाया गया था। वहीं सत्यमेव चौक पर तिरंगे झंडे के स्थल पर राजनेताओं के नामों की बड़ी शिलालेख लगाकर वाहवाही लूटी गई थी। वही सौ फिट के तिरंगे के नदारद होने को लेकर जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौन नजर आते हैं।

नेशनल स्कूल गेम्स का कैलण्डर जारी

बीकानेर, (निसं)।एक साल पहले तक स्कूल नेशनल गेम्स का आयोजन नहीं हो रहा था और अब सेशन की शुरूआत में ही पूरे साल का कलेंडर घोषित कर दिया गया है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कलेंडर के मुताबिक ही अब राजस्थान के स्कूल्स में टूर्नामेंट की डेट्स तय होगी। नेशनल गेम्स की मेजबानी इस बार बीकानेर, जयपुर और जोधपुर को भी सौंपी गई है।

शिक्षा निदेशालय में खेलकूद प्रभारी अशोक व्यास ने बताया कि स्कूल नेशनल गेम्स अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे जो जनवरी 24 तक अनवरत चलते रहेंगे। अलग-अलग खेलों की जिम्मेदारी अलग-अलग स्कूल्स को सौंपी गई है। राजस्थान को भी कई खेलों का आयोजन दिया गया है। इसमें वेट लिफ्टिंग अंडर -19 बॉयज एंड गर्ल्स का नेशनल स्कूल टूर्नामेंट बीकानेर में नवम्बर के पहले सप्ताह में आयोजित होगा। पिछली बार स्टेट वेट लिफ्टिंग

- **नेशनल गेम्स की मेजबानी इस बार बीकानेर, जयपुर और जोधपुर को भी सौंपी गई**

भी बीकानेर में हुई थी। टेनिस का अंडर 17-19 गर्ल्स का टूर्नामेंट जोधपुर में होगा। ये टूर्नामेंट दिसम्बर के पहले सप्ताह में होगा। अंडर14 गर्ल्स बास्केटबॉल का नेशनल टूर्नामेंट बाडमेर में नवम्बर के पहले सप्ताह में होगा। जूडो का नेशनल स्कूल टूर्नामेंट फरवरी 24 में श्रीगंगानगर में होगा। सॉफ्टबॉल का अंडर 17 बॉयल एंड गर्ल्स टूर्नामेंट बीकानेर में नवम्बर के पहले सप्ताह में होगा। कबड्डी का अंडर 17 गर्ल्स टूर्नामेंट जयपुर में जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा। इसी आधार पर अब राजस्थान में स्टेट लेवल टूर्नामेंट का कलेंडर जारी होगा। इससे पहले जिला स्तरीय खेलकूद भी स्कूल्स में आयोजित किए जाएंगे। नेशनल गेम्स की डेट्स तय होने से राजस्थान सहित देशभर में स्कूली टूर्नामेंट समय पर ही होंगे। इस बार भी एसजीएफआई में राजस्थान का प्रतिनिधित्व होने के कारण नेशनल गेम्स बीकानेर को मिल रहे हैं। शिक्षा निदेशालय से उप निदेशक अरविन्द व्यास और खेल प्रभारी अशोक व्यास दोनों एसजीएफआई में राजस्थान के प्रतिनिधि है।

राशिफल शुक्रवार 11 अगस्त, 2023

पंडित अनिल शर्मा

द्वि. सावन मास (अधिक), कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2080, मृगशिरा नक्षत्र प्रात: 6:02 तक, व्याघात योग दिन 3:10 तक, बव करण सांय 5:49 तक, चन्द्रमा आज सांय 4:58 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-वृष, मंगल-सिंह, बुध-सिंह, गुरू-मेष, शुक्र-कर्क, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज कमला (पुरूषोत्तम) एकादशी व्रत स्मार्तों का है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:58 तक, लाभ-अमृत 7:38 से 10:54 तक, शुभ 12:32 से 2:10 तक, चर 5:26 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:00, सूर्यास्त 7:04

मेष

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

वृष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

मिथुन

आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

कर्क

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। सूर्यास्त पश्चात अनावश्यक धन खर्च हो सकता है।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।

कन्या

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ बनी रहेगी।

तुला

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। व्यावसायिक परेशानियां अभी बनी रहेगी। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

वृश्चिक

परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मकर

घर-परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कुंभ

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। घर-परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।